न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी— सी0एल0 शॅर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 112/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. श्रीमती कमला देवी पत्नी गोवर्धनलाल गुर्जर निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीया

बनाम

1. गोवर्धनलाल पिता मोहनलाल गुर्जर
2. गोपाल लाल पिता मोहनलाल गुर्जर
3. श्रीमती जेतीबाई विधवा मोहनलाल गुर्जर
4. लोभचन्द पिता प्यारा बैरवा
5. श्रीमती बाली बाई पुत्री प्यारा बैरवा

सर्व निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

6. नन्दराम पिता बंशीलाल बडवा निवासी गणेशपुरा तहसील सहाड़ा
7. नारायण मु. नगजी बैरवा
8. गोपी पिता सवाईराम बैरवा
9. भगवती लाल पिता मांगीलाल कलाल
10. राजेश पिता मांगीलाल कलाल
11. रमेश पिता रतनलाल बैरवा
12. देवीलाल पिता रतनलाल बैरवा
13. कैलाशी पुत्री रतनलाल बैरवा
14. सीमा पुत्री रतनलाल बैरवा
15. नारायण बेवा रतनलाल बैरवा

सर्व निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

16. ग्राम पंचायत गणेशपुरा जरिये सरपंच तहसील सहाड़ा।
17. रतनलाल पिता जगदीश बडवा
18. सत्यनारायण पिता जगदीश बडवा
19. सम्पत कुमार पिता जगदीश बडवा
20. सीता पुत्री मांगीलाल कलाल
21. पुष्पा पुत्री मांगीलाल कलाल
22. धापु बेवा मांगीलाल कलाल
23. लक्ष्मी पुत्री जगदीश बडवा
24. पुजा पुत्री जगदीश बडवा
25. सज्जन देवी बेवा जगदीश बउवा

सर्व निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

26. भूमि विकास बैंक, शाखा गंगापुर जिला भीलवाड़ा।
27. ग्राम सेवा सहकारी समिति, गणेशपुरा तहसील सहाड़ा।
28. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

——विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः— 28/06/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम लखमणियास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 618/1 रकबा 2.40 हे0 619 रकबा 2.71 हे0 भूमि कुल किता 02 कुल रकबा

क्रमश....02

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 112/2018
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

5.11 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 23 व 22 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 28 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम लखमणियास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 618/1 रकबा 2.40 हे0 619 रकबा 2.71 हे0 भूमि कुल किता 02 कुल रकबा 5.11 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीया बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 2,600– (दौ हजार छः रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 2,600– (दौ हजार छः रूपये मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/06/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर

(सी0एल0शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)